

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 33/2024

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
खेताराम पुत्र मूलाराम जाति खत्री, निवासी रामदेव नगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. धूडाराम पुत्र रामचन्द्र जाति खत्री, निवासी रामदेव नगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मौखाब 3. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :- अधिवक्ता वादी - श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

--: निर्णय ::--

दिनांक : 21.07.2025

वादी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल मौखाब के ग्राम रामदेव नगर के खेत खसरा नम्बर 390, 391, 394 रकबा क्रमशः 0.0647, 13.6298, 13.9212 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	खेताराम पुत्र मूलाराम जाति खत्री सा. देह खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा मौखाब	रामदेवनगर	391	9.1297	बाचा	-	गुलाबी
			394	9.2808	बाचा		
			02	18.4105			
2	धुडाराम पुत्र रामचन्द्र जाति खत्री सा. देह खातेदार	रामदेवनगर	390	0.0647	गैमु ढाणी	-	हरा
			394	4.6404	बाचा		
			391	4.5001	बाचा		
			03	9.2052			

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 सरे इजलास सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(SDO) शिव